संख्या-1/2017/1328 /एक-9-2017-रा0-9

प्रेषक,

आर0वी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-9 **लखनऊ दिनांक 25 अगस्त, 2017**

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम पांच माह हेतु लेखानुदान के माध्यम से जारी वित्तीय स्वीकृति को घटाते हुए अवशेष वित्तीय स्वीकृतियॉं जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित आय-व्ययक में से प्रथम पांच माह (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए लेखानुदान के माध्यम से जारी वित्तीय स्वीकृति को घटाते हुए अवशेष धनराशि अनुदान संख्या-52 लेखाशीर्षक-2029-भू-राजस्व-103-भू-अभिलेख-04-जिला व्यय के विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट के अनुसार अवशेष धनराशि मतदेय मद में रू0 9,81,27,32,000/- (रूपये नौ अरब इक्यासी करोड़ सत्ताइस लाख बत्तीस हजार मात्र) एवं भारित में रू0 59,00/- (रूपये उनसठ हजार मात्र) , अनुदान संख्या-52-लेखाशीर्षक -2029-भू-राजस्व-103-भू-अभिलेख -03-अधीक्षण के विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत रू0 2,17,34,000/- (रूपये दो करोड़ सत्तरह लाख चौतीस हजार मात्र) एवं लेखाशीर्षक-2029-भू-राजस्व-103-भू-अभिलेख-05-कृषि गणना-501-मुख्यालय के विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत रू0 140,73,000/- (रूपये एक करोड़ चालीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) एवं लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य -80-सामान्य -053- रख-रखाव तथा मरम्मत-04-भू-अभिलेख के जिला कार्यालयों के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण मद के अन्तर्गत रू0 23,33,000/-(रूपये तेइस लाख तैतीस हजार मात्र) व लेखाशीर्षक -4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-05-भू- अभिलेखों के अभिलेखागारों के लघु निर्माण कार्य-25-लघु निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत रू0 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) अर्थात कुल योग-मतदेय-रू0 9,85,18,72,000/- (रूपये नौ अरब पच्चासी करोड़ अठ्ठारह लाख बहत्तर हजार मात्र) भारित में रू0 59,000/- (रूपये उनसठ हजार मात्र) की धनराशि वित्त विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दी गयी शर्तो एवं दिशा निर्देशों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- व्यय करने के पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की सहमति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

3- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में दिनांक 01 जनवरी , 2016 से पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के भूगतान की व्यवस्था राज्य कर्मचारियों हेतु मानक मद, 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में की गयी है। अत: दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक मानक मद -52 पुनरीक्षित वेतन के अवशेषों (राजकीय) का भुगतान वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जाये।

4- व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बनध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का भी विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0 वी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्य'- 1328(1)/एक-9-2017 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6- राजस्व अनुभाग-6
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 वी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिशिष्ट

शासनादेश संख्या-1328/एक-9-2017-रा0-9 दिनांक अगस्त, 2017 का संलग्नक।

क्र. सं.	लेखाशीर्षक/मद	वित्तीय वर्ष 2017-18 का आय व्ययक अनुमान धनराशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माह हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि में लेखानुदान के माध्यम से निर्गत धनराशि को घटाते हुए अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (लाख रूपये में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	अनुदान संख्या-52 लेखाशीर्षक-2029-भू-राजस्व 103-भू-अभिलेख-04- जिला व्यय			
1	01-वेतन	152830.72	73490.67	79340.05
2	02- मजदूरी	4.00	1.67	2.33
	03 –मंहगाई भत्ता	9169.84	3674.53	5495.31
	04-यात्रा व्यय	65.00	27.08	37.92
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.85	1.60	2.25
	06- अन्य भत्ते	4029.95	1679.15	2350.80
	08- कार्यालय व्यय	50.00	20.83	29.17
	09- विद्युत देय	3.00	1.25	1.75
	10- जलकर/जल प्रभार	10.00	4.17	5.83
	11- लेखन सामाग्री/फार्मो की छपाई	10.00	4.17	5.83
	12- कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	52.00	21.67	30.33
	13- टेलीफोन व्यय	200.00	83.33	116.67
	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15.00	6.25	8.75
	16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10.00	4.17	5.83
	17- किराया उपशुक्ल और कर	10.00	4.17	5.83
	42- अन्य व्यय (मतदेय) **भारित**	**--** **1.00**	**--** **0.41**	**--** **0.59**
	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	5.00	2.08	2.92
	45- अवकाश यात्रा व्यय	5.00	2.08	2.92
	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	1.25	1.75
	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10.00	4.17	5.83
	49- चिकित्सा व्यय	120..00	83.33	36.67
	51- वर्दी व्यय	1.83	0.76	1.07
	52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	10637.51	---	10637.51
	योग : मतदेय **भारित**	**177245.70** **1.00**	**79118.38** **0.41**	**98127.32** **0.59**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	**अनुदान संख्या-52-लेखाशीर्षक-2029-भू-राजस्व -103-भू-अभिलेख-03 अधीक्षण**			
	01- वेतन	306.85	133.85	173.00
	03- मंहगाई भत्ता	18.41	6.69	11.72
	04- यात्रा व्यय	1.00	0.42	0.58
	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.15	0.06	0.09
	06- अन्य भत्ते	20.26	8.44	11.82
	08- कार्यालय व्यय	0.15	0.06	0.09
	45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.42	0.58
	49- चिकित्सा व्यय	0.30	0.21	0.09
	51- वर्दी व्यय	--	--	-
	52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	19.37	0.00	19.37
	योग	**367.49**	**150.15**	**217.34**
3	**अनुदान संख्या-52-लेखाशीर्षक-2029-भू-राजस्व -103-भू- अभिलेख-05-कृषि गणना-501 मुख्यालय**			
	01- वेतन	98.19	42.83	55.36
	03- मंहगाई भत्ता	5.89	2.14	3.75
	04- यात्रा व्यय	1.50	0.63	0.87
	06- अन्य भत्ते	7.37	3.07	4.30
	07- मानदेय	117.52	48.97	68.55
	08- कार्यालय व्यय	0.42	0.18	0.24
	11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.40	0.17	0.23
	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.20	0.08	0.12
	13- टेलीफोन पर व्यय	0.15	0.06	0.09
	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.00	0.42	0.58
	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.25	0.10	0.15
	49- चिकित्सा व्यय	0.90	0.63	0.27
	51- वर्दी व्यय	0.03	0.01	0.02
	52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	6.20	--	6.20
	योग	**240.02**	**99.29**	**140.73**
4	अनुदान संख्या-52-लेखा शीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य -053-रख रखाव तथा मरम्मत-04-भू-अभिलेख के जिला कार्यालयों के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण -29-अनुरक्षण	40.00	16.67	23.33
5-	अनुदान संख्या-52-लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन -800-अन्य व्यय -05-भू-अभिलेखों के अभिलेखागारों के लघु निर्माण कार्य-25-लघु निर्माण कार्य।	10.00	---	10.00

महायोग मतदेय- रू0 9,85,18,72,000/- (रूपये नौ अरब पच्चासी करोड़ अठ्ठारह लाख बहत्तर हजार मात्र)

भारित – रू0 59,000/- (रूपये उनसठ हजार मात्र)

(आर0वी0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in